भागचन्द - ग्राम पंचायत किशनपुरा मु.न. 13/18

दिनांक	आज्ञा पत्र	
3.1.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 13/2018

1 भागचन्द पुत्र रामनाथ जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 1 किशनपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 ग्राम पंचायत किशनपुरा पं.स. पिपराली जिला सीकर जरिये सरपंच
2 गणपत पुत्र रामदेव जाति बावरिया निवासी वार्ड नम्बर 5 अखैपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
3 नायब तहसीलदार पलसाना जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 28.03.2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय सीकर बसिलसिले प्रकरण ग्राम किशनुपरा की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 334 में से किस्म परिवर्तन की आज्ञा पारित की। अपील अ. धारा 75 राज. ले. रे. एक्ट.

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुकेश कुमार कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

-निर्णय-

दिनांकः- 3.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा में पारित निर्णय दिनांक 28.03.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम किशनपुरा की तन में स्थित चारागाह भूमि खसरा नम्बर 334 रकबा 16.66 हैक्टेयर में से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का फायदा पहूंचाने की गरज से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय में आवेदन भूमि की किस्म परिवर्तन कर आवंटन हेतु प्रस्तुत किया, जिस पर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने बिना किसी प्रकार की जांच किए व बिना आवश्यकता के तथा बिना मौका देखे ही अपनी आज्ञा दिनांक 28.03.2013 के भूमि खसरा नम्बर 334 रकबा 16.66 हैक्टेयर तन ग्राम किशनपुरा में से 0.02 हैक्टेयर भूमि की किस्म चारागाह से सिवाय चक दर्ज करने पर आवंटन किये जाने की विधि विरूद्ध व क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर आज्ञा दिनांक 28.03.2013 पारित कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 350 ग्राम किशनपुरा तहसील दांतारामगढ़ स्थित है। उक्त भूमि में उतरी तरफ से कटानी रास्ता आ रहा है जो आगे खसरा नम्बर 321 से होकर खसरा नम्बर 334 की पूर्वी सीमा से कुछ हटकर जो अपील के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में मौके पर मौजूद रास्ते को दर्शित किया गया है उसी रास्ते से अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से अपनी काश्त भूमि में आवागमन करता आ रहा है, बाकी तरफ रास्ते के अलावा भूमि खसरा नम्बर 334 में नले पड़े हुए है व उबड़ खाबड़ भूमि है उक्त रास्ते को अपीलान्ट व उसके परिजनों ने काफी खर्चा कर रास्ता कायम किया है। विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्य पर गौर किए बिना ही अपनी आज्ञा जैर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील पारित करने में गलती की है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 334 तरमीम खसरा नम्बर 772/334 रकबा 0.02 हैक्टेयर जो चारागाह भूमि है जो धारा 16 राजस्थान टि. एक्ट के प्रावधानों के विपरित विचारण न्यायालय ने विधि विरूद्ध रूप से चारागाह भूमि में आवंटन आदेश जारी कर भारी कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का आवंटित भूमि पर न तो पूर्व में कब्जा रहा न ही वर्तमान में है रेस्पोडन्ट संख्या 2 की ग्राम पंचायत के वार्ड नम्बर 5 ग्राम अखैपुरा में आवासीय गुवाडी बनी हुई है व वही पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मय परिवार आवास निवास करता आ रहा है जब उसके पास पूर्व से ही आवासीय गुवाडी उपलब्ध है व तथाकथित आवंटित भूमि पर कोई कब्जा व अधिकार न तो पूर्व में रहा व न ही वर्तमान में है फिर भी विचारण न्यायालय ने आज्ञा जैर अपील पारित करने से पूर्व उक्त तथ्य पर गैर किये बिना ही अपनी आज्ञा जैर अपील पारित करने में गलती की है। विचारण न्यायालय ने हितबद्ध पक्ष अपीलान्ट को कोई नोटिस व सूचना दी ना ही अपीलान्ट को अपना कथन व सबूत प्रस्तुत करने का मौका दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ग्राम पंचायत में आबादी के लिहाज से आबादी भूमि उपलब्ध होते हुए भी स्थानीय राजनैतिक प्रभाव का दुरूपयोग करते हुए ग्राम पंचायत ने अपीलान्ट की रास्ते की भूमि जो समतल व रास्ता उपयोगी बनायी हुई थी उसमें से 0.02 हैक्टेयर भूमि का बिना आवश्यकता व उपयोगिता के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर से ही तथ्य छुपाकर आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन करवायी है। आबादी विस्तार का क्षेत्राधिकार मात्र जिला कलेक्टर महोदय को है प्रस्तुत में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर ने चारागाह भूमि की किस्म सिवाय चक व फिर आबादी भूमि दर्ज करने की आज्ञा विधि विरूद्ध व कानूनी प्रावधानों के विपरित जारी की है जो कतई स्थिर रहने योग्य नहीं है। वैसे भी किशनपुरा तहसील दांतारामगढ़ में स्थित होने से भी विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के क्षेत्राधिकार में ही नहीं आता। ग्राम पंचायत ने उपखण्ड अधिकारी महोदय सीकर के आवंटन में रखी शर्त संख्या 1, 2 की कतई पालना नहीं की है। अतः आवंटन की शर्तो की पालना किए बिना ही ग्राम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

पंचायत द्वारा बिना पालना के ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को विवादित भूखण्ड का पट्टा देने में गलती की है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलांट विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं है। विवादित भूमि चारागाह भूमि है। इस भूमि का आवासीय उपयोग हेतु आवंटन ग्राम पंचायत, पटवारी के प्रस्ताव पर विचाराधीन निर्णय से किया गया है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अतः अपील धारा 5 व धारा 96 के बिन्दु पर ही खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण अपीलांट का कथन है कि खसरा नम्बर 334 विचाराधीन निर्णय से आबादी विस्तार हेतु आवंटन के कारण अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 350 के रास्ते में व्यवधान हो रहा है। इस कारण अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। विचारण न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नहीं था। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार किये जाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.01.2025 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 3.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर